राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रावत सिंह बनाम गोपीराम

तारीख हुक्म	262/2014 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/07/2014 पारित करते हुए रेस्पो. संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता-फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर वाके ग्राम खो-नागौरियन, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट था एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है। अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/07/2014 न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	